प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.07.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसला कर ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 04.07.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष दिनांक 02.07.2026 को शाम के समय घर से बिना बताये किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ कही चली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहृता की बरामदगी हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास के उपरान्त अपहृता को दिनांक 07.07.2026 को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा प्रकरण की जांच की गयी, जांच के क्रम मे पीडिता के बयान धारा 180/183 BNSS, मेडीकल परीक्षण व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्त कदीर पुत्र कबीर हाल पता घोडे वाले मंदिर के पास ग्राम डुंडाहैडा थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद का नाम प्रकाश मे आया तथा अभियोग मे धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

दिनांक 12.07.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त कदीर पुत्र कबीर निवासी ग्राम कस्बा अनुपशहर अड्डा गांव सागनी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर हाल पता घोडे वाले मंदिर के पास ग्राम डुंडाहैडा थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर पंचशील पार्क के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मै डूंडाहेडा घोले वाले मंदिर के पास किराये के मकान मे निवास कर रहा हूं तथा मै विजयनगर मे सैलून की दुकान पर काम करता हूं, जिस दुकान पर मैं काम करता हूं उसी दुकान के पास अपहृता भी किराये पर निवास करते थे, जिस कारण मेरी पीडिता से करीब डेढ वर्ष से जान पहचान हो गयी थी तथा मैनें पीडिता से उसका मोबाइल नम्बर ले लिया था तथा उसी नम्बर पर मैं पीडिता से बात करता था तथा दिनांक 02.07.2026 को उसे बहला फुसला कर अपने साथ हरिद्वार ले गया था फिर पुलिस ने अपहृता को बरामद कर लिया था और मैं पुलिस से छिपता हुआ घुम रहा था।

अभियुक्त का नाम व पता

कदीर पुत्र कबीर निवासी ग्राम कस्बा अनुपशहर अड्डा गांव सागनी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर हाल पता घोडे वाले मंदिर के पास ग्राम डुंडाहैडा थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 15000/- रू0 के इनामी अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.06.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. फैसल 2.शेरुद्दीन 3.आमिर व 4.आयान निवासीगण अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र तसलीम उर्फ चीनी की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना में अभियुक्त 1. फैसल, शेरुद्दीन, आमिर व आयान के अलावा अभियुक्त साबिर पुत्र नवाब निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी गहाई थाना अलीगंज जिला एटा एवं अभियुक्त आमीन पुत्र मौ0 नफीस उर्फ भूरे निवासी जैन कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये। तत्पश्चात दिनांक 15.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोंग में प्रकाश में आये अभियुक्त 1.साबिर पुत्र नवाब निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी गहाई थाना अलीगंज जिला एटा 2. आमीन पुत्र मौ0 नफीस उर्फ भूरे निवासी जैन कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 12.07.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोंग में वांछित 15000/- रू0 के इनामी अभियुक्त 1.शेर खान उर्फ शेरुद्दीन पुत्र जमकुद्दीन निवासी जैन कॉलोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष 2.आमिर पुत्र नवाब शेर निवासी जैन कॉलोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि करीब डेढ वर्ष पूर्व मृतक तस्लीम उर्फ चीनी ने अपने साथी रिहान के साथ मिलकर हमारे ममेरे भाई यूनुस की हत्या कर दी थी। उसी रंजिश को लेकर मृतक तस्लीम सोशल मीडिया पर तरह-तरह की वीडियो अपलोड करके धमकी देता था तथा गवाही न देने के लिए धमकाता था। इस कारण दिनांक 10.06.2026 को हमने मिलकर मौका पाकर उसको छुरा मारकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.शेर खान उर्फ शेरुद्दीन पुत्र जमकुद्दीन निवासी जैन कॉलोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष। (15000/- रू0 का इनामी)

2.आमिर पुत्र नवाब शेर निवासी जैन कॉलोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 15000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 24.06.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण नदीम, साहिल व अन्य द्वारा वादिया के पुत्र आफताब की चाकू मारकर की हत्या कर देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया । तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.नदीम पुत्र मौ0 नसीम निवासी एक मीनार मस्जिद चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 2. साहिल उर्फ मौ0 शिराज पुत्र आजाद निवासी अंजली विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा गया तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी ।

आज दिनांक 12.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 15000/- के इनामी अभियुक्त मौ0 मिराज उर्फ पप्पी उर्फ महराज पुत्र मौहम्मद आजाद निवासी अंजली विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि करीब 05 -06 महीने पहले आफताब के साथ हमारा झगड़ा हो गया था । इसी बात को लेकर हम लोगो के मन में आफताब के प्रति रोष था । दिनांक 23.06.2026 को रात्रि समय करीब 10.30 बजे हमने आफताब को सभापुर अण्डरपास के पास धोखे से बुलाकर बदला लेने की नीयत से उसके साथ मारपीट कर चाकू मार दिया था और उसके बाद हम सभी वहाँ से भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मौ0 मिराज उर्फ पप्पी उर्फ महराज पुत्र मौहम्मद आजाद निवासी अंजली विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग की हुई 01 टूटी पीली धातु की चैन व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 28.06.2026 को थाना कौशाम्बी पर वादिया निवासी इन्दिरापुरम, गाजियाबाद द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध गले से चैन छीनने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 07.07.2026 को अन्य वादी निवासी वैशाली सेक्टर-2, ब्लॉक-ई, गाजियाबाद द्वारा अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात् घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.07.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. विभांशु मिश्रा पुत्र राजीव नारायण मिश्रा निवासी एसएफ-2, प्लाट नं0-14, सेक्टर-01, नियर रिनेसिस पब्लिक स्कूल, वैशाली, थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष तथा 2. मो0 रमजान पुत्र मो0 मनजूर निवासी मकान नं0-175, बुद्ध विहार, सेक्टर-1, वैशाली, थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष को यूपी गेट रोड की तरफ, वैशाली, गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैचिंग की हुई 01 टूटी पीली धातु की चेन व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5)/3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि बरामद टूटी पीली धातु की चैन उन्होंने कुछ दिन पूर्व सेक्टर-5 स्थित शनि मन्दिर के पास रास्ते से जा रही एक महिला के गले से स्नैचिंग की थी। चैन को दो टुकड़ों में तोड़कर उसका एक टुकड़ा हार-बीमारी का बहाना बनाकर राह चलते एक व्यक्ति को बेच दिया था तथा प्राप्त धनराशि को आपस में बराबर बांटकर नशे एवं मौज-मस्ती में खर्च कर दिया। शेष बचा आधा टुकड़ा बेचने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि वे चोरी की मोटरसाइकिलों से घटनाएं कारित करते हैं तथा घटना के बाद उन्हें लावारिस अवस्था में छोड़ देते हैं। बरामद मोटरसाइकिल भी उन्होंने लगभग तीन-चार दिन पूर्व थाना कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत कामना वैशाली, सेक्टर-2, ब्लॉक-ई से रात्रि के समय चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.विभांशु मिश्रा पुत्र राजीव नारायण मिश्रा निवासी SF-2 प्लाट नं0-14 सेक्टर-01 नियर रिनेसिस पब्लिक स्कूल वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

2. मो0 रमजान पुत्र मो0 मनजूर निवासी म0नं0-175 बुद्ध बिहार सेक्टर-1 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- स्नैचिंग की हुई 01 टूटी पीली धातु की चैन।
- चोरी की 01 मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार , जिनके कब्जे से कुल 21 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 12.07.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत चैकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त (1) प्रसन्नजीत राय पुत्र ओरुण राय निवासी गांव बिजनी दोतूरी थाना बिजनी जिला चिरांग असम उम्र 30 वर्ष (2) बुद्धेश्वर नमोदास पुत्र गोराचन्द नमोदास निवासी गांव बिजनी दोतूरी थाना बिजनी जिला चिरांग असम उम्र 30 वर्ष (3) सुनील दीगल पुत्र जुनेश दीगल निवासी गांव सलभगा थाना टीकावली कन्धोमल ओडिशा उम्र 28 वर्ष व (4) पीयूष दीगल पुत्र रामदास दीगल निवासी सब्बेरीबाटा थाना फुलबनी कन्धोमल ओडिशा उम्र 23 वर्ष को जल प्लांट रोड सुदामापुरी बिजलीघर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 21 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आप्रेशन प्रहार के तहत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष 2026 में अभी तक कुल 25 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका जिनके कब्जे से कुल 43 किलो 11 ग्राम अवैध गांजा व 523 ग्राम नशीला पाउडर जिनकी कुल कीमत करीब 2241550/- रुपये व मादक पदार्थ की बिक्री के कुल 382540/- रुपये नगद बरामद किये जा चुके है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग असम व ओडिशा के रहने वाले है तथा ओडिशा से सस्ते दामो पर भारी मात्रा मे गांजा खरीद कर लाते है तथा NCR क्षेत्र मे कुछ चुनिंदा व्यक्तियो को भारी मात्रा मे मंहगे दामो पर देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) प्रसन्नजीत राय पुत्र ओरुण राय निवासी गांव बिजनी दोतूरी थाना बिजनी जिला चिरांग असम उम्र 30 वर्ष।

(2) बुद्धेश्वर नमोदास पुत्र गोराचन्द नमोदास निवासी गांव बिजनी दोतूरी थाना बिजनी जिला चिरांग असम उम्र 30। वर्ष।

(3) सुनील दीगल पुत्र जुनेश दीगल निवासी गांव सलभगा थाना टीकावली कन्धोमल ओडिशा उम्र 28 वर्ष व

(4) पीयूष दीगल पुत्र रामदास दीगल निवासी सब्बेरीबाटा थाना फुलबनी कन्धोमल ओडिशा उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

21 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।